सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023 *Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2023

संख्या प.6(20)कृषि/ग्रुप-2/2004 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.10(44)कृषि/5/65 दिनांक 04.06.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति अलवर की स्थापना की गई थी।

अब चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति अलवर द्वारा मण्डी क्षैत्र में रैणी गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर पालिका रैणी में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में	-	सीमा ग्राम रैणी (बी)
पश्चिम में	-	पूर्व की और एस.एस.बी.डेरा (एस.एस.बी.डोग ट्रेनिंग एण्ड ब्रीडिंग सेन्टर डेरा अलवर)
उत्तर में	-	एस.एस.बी.डेरा क्षैत्र एवं मीन भगवान का मन्दिर
एवं दक्षिण में	-	खसरा नं.1640/1479 तक(खाली जमीन)

तथा इन सीमाओं के अन्दर समस्त निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

4477

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।